सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/ATY-2717/MRLY/45/2025-RU-IV

दिनांक: 22.12.2025

सेवा मे,

महानिदेशक,
रेलवे सुरक्षा बल,
रेल भवन, रायसीना रोड़,
नई दिल्ली-110001
E.mail: dgrpf@rb.railnet.gov.in

विषय: आरपीएफ में नौकरी के दौरान ऑन-ड्यूटी गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अवकाश ने दिए जाने एवं आर्थिक नुकसान (विजाउट-पे) और स्थानांतरित कर प्रार्थी को प्रताड़ित करने के संबंध में- श्री सीताराम मीना, सहायक उपनिरीक्षक, आरपीएफ डिवीजन राजकोट वे.रेलवे, पोस्ट-मोरवी (गुजरात) का पत्र/अभ्यावेदन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 60 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

22-12-25

(प्रवीण कुमार सिंह)
अवर सचिव
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री सीताराम मीना,
सहायक-उपनिरीक्षक,
आरपीएफ डिवीजन राजकोट वे.रेलवे,
पोस्ट-मोरवी (गुजरात)
Mobile No:8390718935

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल संख्या NCST/ATY-2717/MRLY/45/2025-RU-IV

श्री सीताराम मीना, सहायक उपनिरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल, राजकोट डिवीजन, पश्चिम रेलवे, पोस्ट-मोरवी (गुजरात) के अभ्यावेदन के संबंध में दिनांक 02.12.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग की दिनांक : 02.12.2025 को 14:10 बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

अभ्यावेदक श्री सीताराम मीना, सहायक उपनिरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल, राजकोट डिवीजन, पश्चिम रेलवे, पोस्ट-मोरवी (गुजरात) ने आयोग को दिनांक 20.06.2025 को शिकायत प्रस्तुत की है। अभ्यावेदक ने उल्लेख किया है कि वे 17-18 मार्च, 2024 को सूरत में ऑन-ड्यूटी गंभीर रूप से घायल हुए थे, इसके बावजूद उन्हें अवकाश प्रदान नहीं किया गया तथा अवकाश स्वीकृत न किए जाने के कारण उन्हें आर्थिक क्षति (विज़ाउट-पे) हुई। साथ ही, उनके विरुद्ध प्रताड़ना के रूप में सूरत से राजकोट डिवीजन स्थानांतरण कर दिया गया। अभ्यावेदक ने आयोग से न्याय दिलाने का अनुरोध किया है।

2. आयोग द्वारा मामले में दिनांक 17.07.2025 को द्वारा महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल, नई दिल्ली को विषय से संबंधित तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

3. महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल, नई दिल्ली के कार्यालय से दिनांक 01.09.2025 को डी.आई.जी. (स्थापना) से आयोग में उत्तर प्राप्त हुआ है। जिसमे उनके द्वारा बताया गया कि रेलवे बोर्ड ने पश्चिमी रेलवे के IG-cum-PCSC की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि ASI मीना 17/18.03.2024 को सूरत में ड्यूटी के दौरान घायल हुए थे, जिसके बाद उनका उचित चिकित्सा और "ड्यूटी पर चोट" (IOD) की अवधि 18.03.2024 से 10.04.2024 तक नियमानुसार स्वीकृत की गई। हालांकि, उन्हें IOD अवधि के बाद सूरत हेल्थ यूनिट में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना था, लेकिन वह 11.04.2024 से 11.08.2024 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे और न ही छुट्टी नियमित करने के लिए कोई आवेदन जमा किया, जिसके कारण जुलाई 2024 का वेतन जारी नहीं हो सका। उनके तबादले के संबंध में, रेलवे ने इसे पूर्णतः प्रशासनिक आधार पर सही ठहराया है, यह देखते हुए कि उन्होंने चिकित्सा प्रक्रिया का पालन करने के बजाय आधिकारिक WhatsApp समूह में फिटनेस प्रमाण पत्र और IOD पर भड़काऊ संदेश पोस्ट किए, जिसमें अधिकारियों के खिलाफ जाति-आधारित आक्षेप भी शामिल थे, जिससे बल के अनुशासन और सद्भाव पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका थी। साथ ही,

आशा लकड़ा

4. प्रार्थी का स्थानांतरण (सूरत से राजकोट) पूर्णतः प्रशासनिक आधार पर किया गया था या नहीं, इसकी पुनः जाँच की जाए। प्रार्थी ने यह दावा किया है कि 33 वर्ष से अधिक समय से मुंबई सेंट्रल/सूरत क्षेत्र में अनेक अन्य कर्मचारी पदस्थापित हैं, अतः घटना के तुरंत बाद उनका स्थानांतरण किया जाना प्रथमदृष्टया भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है। अतः विभाग यह परीक्षण करे कि स्थानांतरण के निर्णय में कहीं कोई पक्षपात, द्वेषता या प्रतिशोधात्मक उद्देश्य तो निहित नहीं था। प्रार्थी के दावे तथा उपलब्ध तथ्यों के आलोक में, विभाग द्वारा प्रार्थी के स्थानांतरण को पुनर्विचार करते हुए सूरत क्षेत्र के किसी समीपस्थ इकाई/स्टेशन में संशोधित/स्थापित करने पर भी विचार किया जाए।
5. रेलवे सुरक्षा बल यह सुनिश्चित करे कि अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से संबंधित सभी मामलों में विभाग **SC/ST (PoA) Act**, सेवा नियमों, रेलवे बोर्ड के निर्देशों तथा DoPT के दिशानिर्देशों का पूर्णतः पालन करे तथा बल के भीतर संवेदनशीलता, समानता और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ।
6. मामले में की गई समस्त कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट 60 दिवस के भीतर आयोग को प्रेषित की जाए।

आशा लकड़ा
10/12/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Sitting to be held on **02.12.2025 at 02.10 P.M-** आरपीएफ में नौकरी के दौरान ऑन-ड्यूटी गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अवकाश ने दिए जाने एवं आर्थिक नुकसान (विजाउट-पे) और स्थानांतरित कर प्रार्थी को प्रताड़ित करने के संबंध में- **श्री सीताराम मीना,** सहायक उपनिरीक्षक, आरपीएफ डिवीजन राजकोट वे.रेलवे, पोस्ट-मोरवी (गुजरात) का दिनांक 26.06.2025 का पत्र/अभ्यावेदन ।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Director General, Railway Protection Force, New Delhi**		
1.	Ms. Sonali Mishra IPS DG/RPF/RB		2/12
2.	Ms Sarika Mohon, DIG/Estt/RB		2/12
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.	सीताराम मीना ASI/RPF/MRI		2/12/25
2.			